

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1446]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2015/ आषाढ़ 16, 1937

No. 1446]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015/ASHADHA 16, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

का.आ. 1832(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1297(अ) तारीख 12.05.2015 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा आन्ध्रा प्रदेश राज्य में डिंडी-चिंचिनाडा पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृत कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

गेल (इण्डिया) लिमिटेड

डिंडी एस वी स्टेशन से चिंचिनाड एस वी स्टेशन तक पाइप लाइन

जिला	मंडल	गाँव	सर्वे नं./सब डिविजन नं.	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
पूर्व गोदावरि	मलिकिपुरम	डिंडी हेचओ गुडिमेल्ललंका	50	0.0765
			49/11	0.1040
			49/10	0.1006
			48	0.0790
			46/2	0.0642
			47/2	0.2765
			73/3	0.0331
			कुल	0.7339
पश्चिम गोदावरि	एलमंचिली	चिंचिनाड	190/4	0.0058
			190/6	0.0413
			190/7	0.0020
			208	0.2326
			184	0.0225
			209	0.0260
			183/3	0.0244
			183/4	0.0499
			183/5	0.0068
			183/6	0.0120
			183/16	0.0219
			210/1	0.0864
			182/2	0.0212
			182/5	0.0568
			182/10	0.0088
			223/3अ	0.0099
			223/3सि	0.0868
			223/3डि	0.1098

			224/2इ	0.0096
			224/2एफ	0.1056
			224/2जि	0.0540
			225/5	0.3476
			225/6	0.1212
			237/2	0.0314
			208	0.1170
			200	0.2050
			207	0.2390
			कुल	2.0553

[सं. एल-14014/06/15/जी.पी.]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2015

S.O. 1832(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1297 (E) dated 12.05.2015; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dindi-Chinchinada pipeline in the State of Andhra Pradesh by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

GAIL (India) Limited

GAS PIPE LINE FROM DINDI SV STATION TO CHINCHINADA SV STATION

District	Mandal	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (in Hectares)
1	2	3	4	5
East Godavari	Malikipuram	Dindi H/o Gudimellanka	50	0.0765
			49/11	0.1040
			49/10	0.1006
			48	0.0790

			46/2	0.0642
			47/2	0.2765
			73/3	0.0331
			Total	0.7339
West Godavari	Elamanchili	Chinchinada	190/4	0.0058
			190/6	0.0413
			190/7	0.0020
			208	0.2326
			184	0.0225
			209	0.0260
			183/3	0.0244
			183/4	0.0499
			183/5	0.0068
			183/6	0.0120
			183/16	0.0219
			210/1	0.0864
			182/2	0.0212
			182/5	0.0568
			182/10	0.0088
			223/3A	0.0099
			223/3C	0.0868
			223/3D	0.1098
			224/2E	0.0096
			224/2F	0.1056
			224/2G	0.0540
			225/5	0.3476
			225/6	0.1212
			237/2	0.0314
			208	0.1170
			200	0.2050
			207	0.2390
			Total	2.0553

[No. L-14014/06/15- G.P.]
S. P. AGARWAL, Under Secy.